एस एम ए एम के तहत सब्सिडी पर उपलब्ध स्वचालित कृषि मशीनरी

कृषि कार्यों में दक्षता लाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। इसके लिए वह अपने कृषि मशीनीकरण पर अपने उप-मिशन (एस एम ए एम) के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वचालित मशीनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है।

भारत सरकार का कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग अपने मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी बी टी) के माध्यम से सब्सिडी दे रहा है। योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रति मशीन की कुल लागत के 40-50% तक सब्सिडी दी जाती है।

महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित लाभार्थियों को मशीन की कुल लागत के 50% तक सब्सिडी दी जाती है। अन्य लाभार्थियों के लिए सब्सिडी कुल लागत का 40% तक है।

स्वचालित मशीनों की खरीद के लिए एस एम ए एम योजना के तहत लागत मानदंड और वित्तीय सहायता का प्रतिरूप

स्वचालित मशीन	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता का प्रतिरूप	अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता का प्रतिरूप
रीपर-कम-बाइंडर (3-पहिया)	1.75 लाख रुपये	50%	1.40 लाख रुपये	40%
रीपर-कम-बाइंडर (4-पहिया)	2.50 लाख रुपये		2 लाख रुपये	
पावर वीडर (इंजन-चालित 2 बीएचपी से कम)	25,000 रुपये		20,000 रुपये	
पावर वीडर (इंजन-चालित 2 बीएचपी से अधिक)	35,000 रुपये		30,000 रुपये	
पावर वीडर (इंजन-चालित 5 बीएचपी से अधिक)	63,000 रुपये		50,000 रुपये	